भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
भूमि एवं विकास कार्यालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली

फाइल सं. 6(31)/सीडीएन/2005 दिनांक: 7/4/05

कार्यालय आदेश 1/05

विषयः- पट्टाधारी/आवेदक की मृत्यु के मामले में अंतरण के लंबित मामलों का निपटान करना।

यह देखा गया है कि इस संबंध में स्पष्ट अनुदेशों के बावजूद कि आवेदकों की मृत्यु के मामले में, ऐसे आवेदन-पत्रों के लंबित रहने के दौरान अंतरण के आवेदन-पत्रों का किस प्रकार निपटान किया जाए, विभिन्न अनुभाग इस संबंध में विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों/प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं। अतः, एतदद्वारा दिनांक 12.4.99 के कार्यालय आदेश सं. 10/99 की प्रति सख्त अनुपालन के लिए परिचालित की जाती है।

(वी. श्रीकुमार)
जनसंपर्क अधिकारी

प्रति

सभी अधिकारी/अनुभाग

भारत सरकार
शहरी मामले एवं रोजगार मंत्रालय
भूमि एवं विकास कार्यालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली

फाइल सं. 6(31)/सीडीएन/99 दिनांकः 12/4/99

कार्यालय आदेश सं. 10/99

विषयः- लीज़ होल्ड से फ्रीहोल्ड में अंतरण-तत्संबंधी अनुदेश।

इस कार्यालय द्वारा चलाई जा रही अंतरण स्कीम के प्रशासन के संदर्भ में, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय से निम्नलिखित मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा गया थाः-

मुद्दाः-

रिकॉर्ड में दर्ज पट्टाधारी अंतरण के लिए आवेदन करता है और अंतरण के लिए आवेदन पत्र का अंतिम फैसला/व्यवस्थापन किए जाने से पूर्व, रिकॉर्ड में दर्ज पट्टाधारी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद, वसीयत के आधार पर अथवा हिंदू वारिस अधिनियम के अनुसार, उत्तराधिकार द्वारा संपत्ति, कानूनी वारिसों के पक्ष में प्रतिस्थापित कर दी जाती है। प्रश्न यह है कि मृत पट्टाधारी द्वारा अंतरण के आवेदन पर क्या कार्रवाई की जाए।

मंत्रालय ने स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट कीः-

"सर्वाधिक तर्कसंगत होगा कि पुराने आवेदन का लाभ कानूनी वारिस/बाद में दर्ज पट्टाधारी को दे दिया जाए जिसके पक्ष में संपत्ति प्रतिस्थापित की गई थी, जब तक विलंब रिकॉर्ड में दर्ज पट्टाधारी की गलती की वजह से नहीं है। हालांकि, उन मामलों में, जिनमें रिकॉर्ड से यह साबित होता है कि अंतरण में विलंब, रिकॉर्ड में दर्ज पट्टाधारी की गलती की वजह से था, अंतरण के आवेदन-पत्र को अस्वीकार किया जाए और पक्ष को परामर्श दिया जाए कि वह अंतरण के लिए

नया आवेदन करें और नया आवेदन करते समय अंतरण शुल्क की गणना, प्रचलित विनिर्दिष्ट शुल्क के अनुसार की जाए।

संबंधित अनुभाग का बी.ओ./अधीक्षक, अंतरण के लंबित मामलों का निपटान करते समय सख्त अनुपालन के लिए उपरोक्त निर्णय देखे।

(वी. श्री कुमार)
जनसंपर्क अधिकारी

1. सभी अधिकारी/अनुभाग/आई.एफ.सी.
2. निजी सचिव, भूमि और विकास अधिकारी।
3. शहरी मामले एवं रोजगार मंत्रालय।